

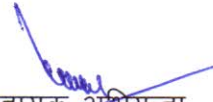
परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में कुनीगाड हिरुली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण

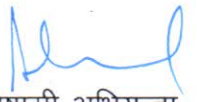
कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


अमानि
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत


अधिषासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत


पटवारी


तहसीलदार
तहसीलदार
चौखुटिया (अल्मोड़ा)


उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
चौखुटिया (अल्मोड़ा)

प्रति हस्ताक्षरित


जिल्लाधिकारी
अल्मोड़ा

प्रति हस्ताक्षरित

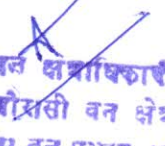
वन दरोगा

वन क्षेत्राधिकारी

उपप्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी


वन प्रभाग अधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र (अल्मोड़ा)


वन क्षेत्राधिकारी,
अधिषासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग - अल्मोड़ा


उपप्रभागीय वनाधिकारी
चौखुटिया


प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा